चित्तरंजन दास

जगन्नाथ मोहंती

“...राष्ट्रवाद क्या है? मेरे विचार में यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई देश स्वयं को अभिव्यक्त करता है, और स्वयं को ही एक हिस्से के रूप में पाता है जिसके द्वारा अपनी अभिव्यक्ति करके अपनी पहचान तलाशने की कोशिश में पार्थिव रूप से देशों की आत्माभिव्यक्ति तथा आत्मानुभूति में सहायक बनता है। विविधता उतनी ही यथार्थ है जितनी एकता और विश्व की एकता कायम करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक राष्ट्रीयता अपनी राह पर चले तथा आत्माभिव्यक्ति एवं आत्मानुभूति में परितोष प्राप्त करे...मेरा मानना है कि प्रत्येक राष्ट्रीयता विशद एकत्व की एक धारा विशेष संघटित करती है, परंतु कोई भी राष्ट्र तब तक पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता जब तक वह अपने में विशिष्ट नहीं बनता और साथ ही समूची मानवता के साथ अपना तादात्म्य स्थापित नहीं करता। अतः राष्ट्रवाद की पूरी समस्या ही उस धारा को खोजना और नियति का सामना करना है। जब भी आप उस धारा का पता लगा लेते हैं और अतीत के साथ उसकी अविच्छिन्नता स्थापित कर लेते हैं तभी आत्माभिव्यक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और तब राष्ट्रवाद की प्रगति को कोई रोक नहीं सकता।”

चित्तरंजन दास

चित्तरंजन दास

चित्तरंजन दास का जन्म 5 नवंबर, 1870 को कलकत्ता में हुआ था। वे वैद्यों या चिकित्सकों के ऐसे परिवार से थे जो शिक्षा के प्रति अपने प्रेम तथा प्रगतिशील विचारों के लिए प्रसिद्ध था।

उनके पिता भुवनमोहन दास पेशे से वकील थे परंतु पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि थी। उनकी मां निस्तारिणी देवी अत्यंत उदारमना तथा आतिथेय थीं। चित्तरंजन दास को माता तथा पिता दोनों से ही विरासत में सभी सद्गुण मिले। उनमें तर्कबुद्धि, उदार दृष्टिकोण तथा आतिथ्य सत्कार की भावना का विकास हुआ।

चित्तरंजन दास को बचपन से ही राष्ट्रभक्ति की कविताएं अच्छी लगती थीं और वे जोश के साथ उनका पाठ किया करते थे। वे नौ वर्ष की उम्र में स्कूल में भरती हुए। स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। उन्होंने अंगरेजी में अच्छे अंक पाए परंतु गणित में काफी पीछे रहे। बंगला साहित्य में गहरी रुचि के कारण उन्होंने बंकिमचंद चटर्जी और रवींद्रनाथ टैगोर की रचनाएं पढ़ीं। भाषण देने की योग्यता के कारण वे जल्दी ही छात्र-संघ के सचिव बन गए। छात्र-संघ को कई राष्ट्रीय नेताओं ने संबोधित किया था।

सन् 1890 में चित्तरंजन दास को आई.सी.एस. के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु लंदन भेजा गया। यद्यपि उनकी परीक्षा अच्छी हुई थी परंतु आई.सी.एस. में उनका चयन नहीं हुआ। बहुत से लोगों का

मानना था कि उनकी राजनीतिक गतिविधियों के कारण ऐसा हुआ।

देशभक्त होने के नाते वे स्वदेश में बनी वस्तुओं में रुचि रखते थे। इंग्लैंड में वे राजनीतिक कार्यों में हिस्सा लेने लगे। एक बार कुछ अंगरेज नेताओं ने अपने भाषणों में भारतीय नेताओं के खिलाफ कुछ अपमानजनक बातें कहीं। वहां पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों ने इसकी आलोचना की। इस विरोध में चित्तरंजन दास सबसे आगे थे। उनके पिता ने उन्हें वकालत की पढ़ाई करने तथा परिवार की परंपरा निभाने की सलाह दी, अतः चित्तरंजन दास ने लंदन में इनर टेंपल में प्रवेश ले लिया। सन् 1893 में वे बैरिस्टर हो गए।

वकील

सन् 1893 में ही चित्तरंजन दास ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में वकील के रूप में अपना कार्य-काल शुरू किया। आरंभिक वर्षों में उन्हें बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ी। उस समय अपनी खर्चीली आदतों तथा उदार स्वभाव के कारण उनके पिता दिवालिया हो गए। इस तरह पूरे परिवार का बोझ चित्तरंजन दास के कंधों पर आ पड़ा।

चित्तरंजन दास वकील के रूप में, विशेषकर फौजदारी मुकदमे लड़ने में काफी विख्यात हो गए। दीवानी मुकदमों में भी उन्हें समान रूप से महारत हासिल थी।

वे विपिनचंद्र पाल तथा अरविंद घोष जैसे देश के महान नेताओं सहित कई राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं के वकील बने।

अरविंद घोष के खिलाफ चला मुकदमा अलीपुर बम कांड के नाम से मशहूर हुआ और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास का एक अध्याय बना।

कलकत्ता चीफ प्रेसिडेंसी मेजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड राष्ट्रीय नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को सख्त सजा सुनाने के लिए कुख्यात हो गया था। एक बार उसने 15 वर्षीय एक किशोर को कोड़े लगाने की सजा सुनाई। इससे पूरे देश में आक्रोश की लहर दौड़ गई। क्रांतिकारियों ने किंग्सफोर्ड

का काम तमाम करने का फैसला किया। उसे डाक से बम भेजा गया। परंतु उसने पार्सल नहीं खोला और इस तरह वह बच गया।

तबादले पर कलकत्ता से मुज़फ्फरपुर चले जाने के बाद उसकी हत्या का एक और प्रयास किया गया। दो नवयुवकों, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को उस पर बम फेंकने के लिए भेजा गया। परंतु इनके द्वारा फेंके गए बम से उसकी जगह दो निर्दोष महिलाएं मारी गईं। 1 मई, 1908 को खुदीराम बोस को वानी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया। प्रफुल्ल को मोकमा स्टेशन पर पकड़ा गया। उसने अपने रिवाल्वर से आत्महत्या कर ली। खुदीराम पर मुकदमा चला और उन्हें मौत की सजा हुई।

सरकार इस घटना की योजना बनाने तथा उसका संचालन करने वाले व्यक्तियों को सामने लाना चाहती थी। पुलिस ने अरविंद घोष तथा कई अन्य क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया। उन पर अलीपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मि. बीच क्रॉफ्ट की अदालत में मुकदमा चला। क्रांतिकारियों के बचाव के लिए जनता से चंदा इकट्ठा किय। गया। सारा धन खर्च हो गया लेकिन उनकी ओर से पैरवी करने के लिए कोई वकील आगे नहीं आया।

यद्यपि उस मामले में बहुत से अभियुक्त थे परंतु सरकार का मुख्य निशाना अरविंद घोष थे।

आखिर बचाव पक्ष की बागडोर चित्तरंजन दास ने आकर संभाली। उन्होंने अपना सारा समय और शक्ति अरविंद घोष को बरी कराने में लगा दी। उन्होंने फीस के रूप में एक पैसा नहीं लिया और साथ में भारी नुकसान भी उठाया। जब मुकदमा खत्म हुआ तक तक उन पर पचास हजार रुपए का कर्ज हो गया था। उस समय यह बहुत बड़ी रकम थी।

चित्तरंजन दास ने अपने मुवक्किल को बचाने में पूरी शक्ति लगा दिया। मुकदमे की सुनवाई 126 दिन तक चली। दो सौ से अधिक गवाहों से जिरह हुई। अदालत में कागजात के रूप में 4000 दस्तावेज और करीब 500 बम व विस्फोटक पदार्थ सबूत के रूप में पेश किए गए। चित्तरंजन दास की आखिरी दलील नौ दिन तक चली, जिसके

अंत में उन्होंने जोरदार अपील की। अपनी अंतिम टिप्पणी में उन्होंने अरविंद घोष का यह उद्धरण पेश किया: "यदि यह कहा जाता है कि मैंने अपने देश की आजादी के आदर्श का प्रचार किया और यदि ऐसा करना कानून के विरूद्ध है तो मैं अपराधी हूं। यदि यहां यही कानून है, तो मैं कहता हूं कि मैंने ऐसा किया है और मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मुझे दंड दें, परंतु मुझे पर उन अपराधों का इल्जाम मत लगाइए जो मैंने किए नहीं हैं और मेरा संपूर्ण स्वभाव जिन कार्यों का विरोध करता है तथा जिन्हें मैं कभी भी कर ही नहीं सकता। यदि स्वतंत्रता के आदर्श का प्रचार करना अपराध है, तो मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने वह किया है..."

चित्तरंजन दास ने आगे कहा,..."आपसे मेरी यह अपील है: जब यह विरोधाभास शांत हो जाएगा, यह आंदोलन और शोर समाप्त हो जाएगा, यह व्यक्ति जब इस दुनिया में नहीं रहेगा तब ये व्यक्ति, देश भक्ति का स्वर मुखरित करने वाले कवि, राष्ट्रवाद के देवदूत और मानवता के पुजारी के रूप में विख्यात हो जाएगा। उसकी मृत्यु के काफी समय बाद उसके शब्द न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में बार-बार गूंजेंगे। इसलिए मेरा कहना है कि यह व्यक्ति इस अदालत के सामने नहीं बल्कि इतिहास की ऊंची अदालत के सामने खड़ा है..."

अरविंद घोष को बरी कर दिया गया तथा शेष अभियुक्तों का मृत्युदंड कालेपानी की सजा में बदल दिया गया।

मामले की चित्तरंजन दास द्वारा की गई पैरवी तथा इतने अधिक दस्तावेजों और सबूतों को सामने लाने में दिखाई गई उनकी कुशलता से मुख्य न्यायाधीश बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने फैसले में चित्तरंजन दास की बहुत सराहना की। इस मुकदमे के कारण उन्हें महान देशभक्त तथा कुशल वकील के रूप में बहुत शोहरत मिली।

चित्तरंजन दास ने एक के बाद एक कई मुकदमे हाथ में लिए जिनसे उनका नाम सारे देश में फैल गया।

एक और मशहूर मुकदमा सन् 1918 का अलीपुर संदूक हत्याकांड था जिसमें उन्होंने राजनीतिक अपराध के लिए सजायाफ्ता नवयुवकों

की जान बचाई। पांच युवा क्रांतिकारियों ने अपने एक साथी पर जासूसी करने का शक होने के कारण उसकी हत्या कर दी और लाश को एक संदूक में रखकर रेलवे पार्सल की मारफत भेज दिया गया। लाश कुछ दिनों में सड़ गई और पार्सल को किसी ने छुड़ाया नहीं।

उनमें से एक अभियुक्त ने चित्तरंजन दास को अपना वकील बनाया। परंतु उन्होंने सभी अभियुक्तों की पैरवी करने का फैसला किया। 25 दिन की सुनवाई के बाद पांचों नवयुवक बरी हो गए। बंगाल के महाअधिवक्ता ने इस मामले को कुशलता के साथ संभालने के लिए चित्तरंजन दास को बधाई दी।

उनकी सफलता का राज यह था कि वह अत्यधिक सावधानी, कौशल, साहस, ईमानदारी और विद्वत्ता के साथ हर मामले की पैरवी करते थे। राजनैतिक मामलों में उन्होंने जिस दृढ़ संकल्प और महान त्याग का परिचय दिया उसे भारतवासी हमेशा याद रखेंगे।

चित्तरंजन दास जब अपार धन कमा रहे थे तभी उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में स्वयं को समर्पित करने के लिए वकालत छोड़ दी।

साहित्यकार

चित्तरंजन दास कवि थे। उन्होंने कई साहित्यिक पुस्तकें लिखीं। उनकी पहली काव्य पुस्तक का नाम था *मालांचा*। इसमें भक्ति तथा प्राकृतिक सौंदर्य की अभिव्यक्ति करने वाले गीत हैं। संग्रह की कुछ कविताओं में पददलित लोगों के प्रति सहानुभूति झलकती है।

उनकी अन्य पुस्तकें हैं–*माला, सागर संगीत, अंतर्यामी तथा किशोर किशोरी*। *माला* में धार्मिक भावना तथा भक्ति को व्यक्त करने वाली कविताएं हैं। *सागर संगीत* की कविताएं विषय की नवीनता विचार-सौंदर्य तथा साहित्यिक अभिरुचि के कारण उल्लेखनीय हैं। *अंतर्यामी* एवं *किशोर किशोरी* में धार्मिक भावना तथा राधा व कृष्ण के अमर प्रेम का चित्रण है।

विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित उनकी रचनाओं में उस समय की

सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं के प्रति उनकी गहरी चिंता अभिव्यक्त हुई है। चित्तरंजन दास ने बंगला की प्रसिद्ध पत्रिका *नारायण* का प्रकाशन किया जिसका उद्देश्य साहित्य के माध्यम से नए विचार का प्रसार करना था।

वे *वंदे मातरम्* पत्रिका के संस्थापक सदस्य और उसके संपादक मंडल के सदस्य थे। वंदे मातरम का संपादन शुरू में अरविंद घोष ने और बाद में विपिनचंद्र पाल ने किया। चित्तरंजनदास स्वराज पार्टी के मुखपत्र *फॉरवर्ड* के प्रधान संपादक भी रहे। इस पत्रिका ने भारतीय पत्रकारिता के नए मानदंड स्थापित किए और जनमत को काफी प्रभावित किया। इसमें छपने वाले प्रभावपूर्ण लेखों ने सरकार तथा जनता दोनों का ध्यान आकर्षित किया।

चित्तरंजन दास तथा उनके साथियों ने सच्चे देशभक्त तैयार करने के लिए शिक्षा की एक राष्ट्रीय प्रणाली की आवश्यकता महसूस की। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय कॉलेज खोलने का निश्चय किया। परंतु बंगाल सरकार ने एक आदेश जारी करके राजनीति में छात्रों के भाग लेने पर पाबंदी लगा दी। निरीक्षकों के कहने पर प्रधानाध्यापक छात्रों पर जुर्माना करते, यहां तक कि उनकी पिटाई भी करते।

जनता से एकत्र किए धन से चित्तरंजन दास ने सन् 1905 में एक नेशनल कॉलेज की स्थापना की जिसे बाद में नेशनल यूनिवर्सिटी में परिवर्तित करने का इरादा था। इस प्रकार नेशनल काउंसिल ऑफ एजूकेशन बनी जो बाद में जादवपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में विकसित हुई। चित्तरंजन दास के अनुरोध पर अरविंद घोष ने गायकवाड़ कॉलेज बड़ौदा के वाइस प्रिंसिपल की नौकरी छोड़ दी और राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के पहले प्रिंसिपल बने।

राजनेता के रूप में

चित्तरंजन दास देशभक्त पहले थे और उसके बाद वकील, पत्रकार या साहित्यकार थे। इसलिए वे अपने को अधिक समय तक राजनीति

से दूर नहीं रख पाए। राजनीति में आने के पहले से ही उनमें वाक्पटुता, दूसरों को मनाने तथा तथ्यों के निष्पक्ष विश्लेषण की क्षमता जैसे गुण थे। शुरू-शुरू में कांग्रेस केवल याचिका प्रस्तुत करने वाली संस्था थी।

सन् 1905 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के विभाजन का एलान किया। इस कार्य के लिए प्रशासनिक सुविधा को इसका सरकारी कारण बताया गया परंतु लोगों को लगा कि बंगाल में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उभरे आंदोलन की कमर तोड़ने के लिए यह कदम उठाया गया। बंगाल के विभाजन ने सुस्त कांग्रेस में स्फूर्ति ला दी। उसने कई जोरदार फैसले लिए। कांग्रेस में नई ताकतें आगे आने लगीं। विपिनचंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक तथा अन्य लोगों ने राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाई। सन् 1905 में चित्तरंजन दास के घर पर एक स्वदेशी मंडली गठित की गई जिसका उद्देश्य स्वदेशी के जरिए देशभक्ति तथा अपनी मदद खुद करने की भावना जगाना था।

सन् 1906 में सरकार के विरोध में बारीसाल में बंगाल प्रांतीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका मुख्य प्रस्ताव चित्तरंजन दास ने तैयार किया जिसमें आत्मनिर्भरता की नीति पर बल दिया गया। सम्मेलन में विचार विमर्श पूरा नहीं हो सका क्योंकि पुलिस ने उसके खुले अधिवेशन को भंग कर दिया। *वंदे मातरम* का नारा लगाने के लिए स्वयंसेवकों व छात्रों की पिटाई की गई। बहुत से नेता गिरफ्तार किए गए और उन पर मुकदमे चले।

बाल गंगाधर तिलक कलकत्ता आए और उन्होंने वहां शिवाजी उत्सव का आयोजन किया। उनका नारा, "स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा", भारतीय राष्ट्रीयता का संदेश बन गया। सन् 1906 में दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान तिलक तथा कई अन्य राष्ट्रवादी नेता चित्तरंजन दास के अतिथि थे।

सन् 1907 के बाद कांग्रेस पर नरमदल वालों का नियंत्रण रहा जिन्होंने मध्य मार्ग अपनाया। चित्तरंजन दास ने स्वयं को सक्रिय

राजनीति से अलग रखा। परंतु उन्होंने कई राजनीतिक मुकदमों में वकील के रूप में अमूल्य योगदान दिया। सन् 1917 में उन्होंने कलकत्ता में हुए बंगाल प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। अध्यक्षता के लिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। उन्होंने भविष्यवाणी की कि चित्तरंजन दास की गिनती जल्दी ही भारत के सबसे विश्वसनीय तथा लोकप्रिय नेताओं में होगी।

होमरूल

भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के प्रति सहानुभूति रखने वाली अंग्रेज महिला एनी बेसेंट भारत के लिए स्वशासन की प्रबल प्रवक्ता के रूप में उभरीं। उन्होंने होमरूल लीग की स्थापना की जिसमें उस समय के अनेक राष्ट्रवादी नेता भाग लेने लगे। सरकार ने उनकी गतिविधियों पर रोक लगा दी और उन्हें नजरबंद कर दिया गया। चित्तरंजन दास ने एनी बेसेंट के विचारों का तहेदिल से समर्थन किया और वे होमरूल लीग में शामिल हो गए। उन्होंने सरकार की कार्रवाई की भी कड़ी निंदा की।

वे चाहते थे कि सन् 1917 में कलकत्ता में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट करें। भारत के स्वतंत्रता संगाम के इतिहास में इस सम्मेलन का युगांतरकारी स्थान है क्योंकि उसमें कांग्रेस के नरम दल वालों ने गरमदल वालों को स्थान दे दिया। कांग्रेस पर होमरूल लीग का नियंत्रण हो गया और उसके समर्थक होने के नाते चित्तरंजन दास राष्ट्रीय स्तर पर महान राजनेता के रूप में उभरकर सामने आए।

सन् 1919 में दमनकारी कानून रौलेट एक्ट पारित होने से भारतीय इतिहास की दिशा बदल गई। इससे सरकार को स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने के लिए असाधारण अधिकार मिल गए। इसके अनुसार किसी को भी गिरफ्तार करने तथा बिना मुकदमा चलाए नजरबंद रखने का अधिकार सरकार को मिल गया। महात्मा गांधी ने इस बिल

के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन चलाया और सारे देश में सत्याग्रह का आह्वान किया।

चित्तरंजन दास सरकार का विरोध करने के इस अहिंसक आंदोलन से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने इसे आध्यात्मिक शक्ति तथा सरकार की गतिविधियों के शांतिपूर्ण विरोध के चिरप्रचलित श्रेष्ठ उपाय के रूप में स्वीकार किया। पंजाब में सरकार के खिलाफ जोरदार आंदोलन चल रहा था जिसमें गोली-लाठी तथा गिरफ्तारियों का दौर जारी था। 13 अप्रैल, 1919 को अमृतसर में छोटे से पार्क जलियांवाला बाग में एक आम सभा हुई। इस बाग के चारों तरफ इमारतें थीं। जनरल डायर ने फौजी दस्तों के साथ जलियांवाला बाग में घुसकर बिना कोई चेतावनी दिए, लोगों पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। जनसभा में बड़ी संख्या में बच्चे, औरतें व बूढ़े भी थे। इस गोलीबारी में करीब 1,000 लोग शहीद हुए और 2,000 व्यक्ति जख्मी हो गए।

जलियांवाला बाग नरसंहार ने ब्रिटिश सरकार के प्रति भारत के लोगों का रवैया एकदम बदल दिया। देश भर में इस घटना के खिलाफ व्यापक विरोध प्रकट किया गया।

कांग्रेस ने गांधीजी की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र जांच समिति बनाई। चित्तरंजन दास भी इस समिति के सदस्य बनाए गए। इस दौरान उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि लगभग चार महीने तक उनकी वकालत बंद रही और उन्होंने लगभग 50,000 रुपए अपनी जेब से खर्च किए क्योंकि गांधीजी के शब्दों में वे 'राजकुमारों जैसा' जीवन बिता रहे थे।

चित्तरंजन दास ने बड़ी कुशलता के साथ सबूतों का विश्लेषण किया। वे गांधीजी की सभी बातों से सहमत नहीं थे, किंतु उन्होंने सच्चे लोकतंत्रवादी की भांति बहुमत का फैसला स्वीकार किया। समिति ने सर्वसम्मति से फैसला दिया कि लोगों पर घोर अत्याचार किया गया था।

जवारहलाल नेहरू भी जांच के काम में शामिल थे और उन्होंने चित्तरंजन दास के योगदान का बखान इन शब्दों में किया—"उनके साथ

तथा उनके अधीन काम करने का यह मेरा पहला मौका था। यह अनुभव बहुत उपयोगी रहा तथा मैं दिन पर दिन उनका और अधिक प्रशसंक बनता गया।"

सुधार

मांटफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाने वाला इंडियन रिफॉर्म्स एक्ट 1919 में पारित हुआ था। मांटेग्यु उस समय भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और चेम्सफोर्ड वाईसराय थे। उन्होंने भारत को प्रगामी रूप से क्रियान्वयन करते हुए एक उत्तरदायी सरकार देने के बारे में एक रिपोर्ट तैयार की। चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 अथवा (इंडियन रिफॉर्म्स एक्ट) उनकी रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया था, यह मांटफार्ड सुधारों के नाम से जाना गया। उस एक्ट के पारित होने के कुछ ही दिनों के अंदर अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय नेता और जवाहर लाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने की। देश के कई प्रमुख नेताओं ने अधिवेशन में भाग लिया।

बहिष्कार

चित्तरंजन दास ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें इन सुधारों को "अपर्याप्त, असंतोषजनक तथा निराशाजनक" बताया गया। इसमें सरकार से अपील की गई कि वह भारत में उत्तरदायी सरकार बनाने की दिशा में जल्दी कदम उठाए। बाल गंगाधर तिलक तथा विपिनचंद्र पाल ने प्रस्ताव का समर्थन किया और विषय समिति में यह स्वीकार कर लिया गया।

परंतु गांधीजी ने इन शब्दों पर एतराज किया और संशोधन पेश किया जिसमें लोगों से कहा गया कि वे पूर्णतया उत्तरदायी सरकार की जल्दी स्थापना के लिए सुधारों को लागू करवाने में सहयोग करें। बाद में समझौता हुआ तथा उसके अनुरूप प्रस्ताव तैयार किया गया।

कांग्रेस की एक उपसमिति बनाई गई जिसने शिक्षा संस्थाओं, अदालतों तथा लेजिस्लेटिव काउंसिलों के बहिष्कार की सिफारिश की। चित्तरंजन दास ने पहली दो प्रकार की संस्थाओं के बहिष्कार का समर्थन किया परंतु कहा कि काउंसिलों का बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए।

चित्तरंजन दास ने यह भी घोषणा की कि वे वकालत छोड़ देंगे। उन्हें आशा थी कि असेंबली के भीतर संघर्ष जारी रहेगा। तथापि 1920 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण बहिष्कार का कार्यक्रम स्वीकार कर लिया गया।

गांधीजी चाहते थे कि असहयोग आंदोलन फौरन शुरू कर दिया जाए जबकि चित्तरंजन दास की राय थी कि आंदोलन शुरू करने से पहले इसकी तैयारी के लिए एक पंचवर्षीय कार्यक्रम बनाया जाए। उन्होंने इस आशय का प्रस्ताव तैयार किया, जिसे गांधीजी ने स्वीकार कर लिया। कांग्रेस अधिवेशन में भी यह पारित हो गया।

इस प्रस्ताव में काउंसिलों के बहिष्कार की मांग शामिल नहीं थी, परंतु स्कूलों, कॉलेजों तथा अदालतों के तुरंत बहिष्कार का आह्वान किया गया था। इसमें लोगों से यह भी कहा गया कि वे करों का भुगतान न करें। चित्तरंजन दास ने स्वयं प्रस्ताव पेश किया और एलान किया कि पूरे देश में बहिष्कार के प्रति जनता में उत्साह जगाएंगे।

चित्तरंजन दास ने जब वकालत छोड़ी तो उस समय वे चोटी के वकील के रूप में भारत भर में ख्याति प्राप्त कर चुके थे। वकालत से होने वाली अपार आय से वे 'राजकुमारों' की भांति जीवनयापन करने के साथ-साथ सब तरह के राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यों के लिए भी धन सम्राट की तरह खर्च कर सकते थे।

वकालत का पेशा छोड़ देने के बाद चित्तरंजन दास का घर एक तरह से राजनीतिक संस्था में बदल गया। वे अपना सारा समय शक्ति और राजनीतिक मामलों में लगाने लगे। वे देशबंधु के रूप में मशहूर हो गए। जो मुकदमे वे पहले से स्वीकार कर चुके थे उनकी पैरवी के कागजात उन्होंने लौटा दिए। उन्होंने कानून की अपनी सारी पुस्तकें अपने दामाद को सौंप दीं। उन्होंने कानूनी मामलों के बारे में

सलाह मांगने वालों से मुलाकात तक करना बंद कर दिया।

स्वराज प्राप्ति के लिए एक वर्ष का समय निर्धारित किया गया। चित्तरंजन दास ने महसूस किया कि इसके लिए देश के नौजवानों को प्रेरित करने की आवश्यकता है। अतः उन्होंने सभाओं तथा लेखों के माध्यम से सभी कॉलेजों के छात्रों का आह्वान किया।

बड़ी संख्या में छात्रों ने कॉलेज छोड़ दिए और गांवों तथा नगरों में जाकर स्वराज प्राप्ति के लिए काम करने लगे। अनेक छात्रों ने राष्ट्रीय कॉलेज खोलने की मांग की। इस मांग को पूरा करने के लिए चित्तरंजन दास ने एक संस्था स्थापित करने का निश्चय किया। महात्मा गांधी ने बंगाल नेशनल कॉलेज का उद्घाटन किया तथा सुभाषचंद्र बोस इसके पहले प्रधानाचार्य बनाए गए। कॉलेज के उद्घाटन समारोह में पंडित मोतीलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद तथा कई अन्य राष्ट्रीय नेता शामिल हुए। सब लोगों ने कॉलेज की स्थापना में मिली सफलता के लिए चित्तरंजन दास को बधाई दी।

चित्तरंजन दास के उदाहरण से प्रेरित होकर कई लोगों ने अपनी वकालत छोड़ दी और इसी तरह के राष्ट्रीय कॉलेज खोले।

लगभग 30,000 विद्यार्थी अपने स्कूल-कॉलेज छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े।

चित्तरंजन दास ने बंगाल में तथा बंगाल से बाहर दौरे किए। जिला अधिकारियों ने आदेश जारी किए कि चित्तरंजन दास को उनके इलाकों में प्रवेश न करने दिया जाए। कई स्थानों पर इन इकतरफा आदेशों का विरोध हुआ। कलकत्ता तथा कई अन्य स्थानों पर विरोध सभाएं आयोजित की गईं।

सुभाष पर प्रभाव

भारत तथा विदेशों में रह रहे हजारों नौजवानों ने चित्तरंजन दास को पत्र लिखकर देश के लिए काम करने की पेशकश की। ऐसे ही एक युवक थे कैम्ब्रिज के छात्र सुभाषचंद्र बोस।

16 फरवरी, 1921 को लिखे अपने लंबे पत्र में सुभाषचंद्र बोस ने लिखा, "आपने देशभक्ति की जो लहर भारत में पैदा की है, वह ब्रिटेन में भी पहुंच गई है। मातृभूमि की पुकार यहां भी सुनाई पड़ रही है। ऑक्सफोर्ड के एक मद्रासी विद्यार्थी ने पढ़ाई त्याग दी है। वह देश-सेवा के लिए भारत वापस जा रहा है। कैम्ब्रिज में अभी कुछ हुआ तो नहीं है परंतु असहयोग के बारे में काफी चर्चा है।

"मेरा विश्वास है कि यदि कोई मार्ग दर्शन करने वाला हो तो कई और युवक भी इस मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। मातृभूमि की बलिवेदी पर सेवा और त्याग करने वाले आप अग्रणी व्यक्ति हैं। मेरे पास जो तुच्छ ज्ञान, योग्यता, बुद्धिमत्ता, शक्ति और उत्साह है उसके साथ मैं अपनी सेवाएं आपको समर्पित करता हूं। मेरे पास अपने तन और मन के अतिरिक्त मातृभूमि के चरणों में अर्पित करने के लिए और कुछ भी नहीं है।"

सुभाषचंद्र बोस को चित्तरंजन दास पर कितना गहरा विश्वास था और कितनी विनम्रता के साथ उन्होंने अपने आपको मातृभूमि के लिए समर्पित कर दिया।

परिवार

कांग्रेस ने सैनिकों तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों से अपील की कि यदि वे कांग्रेस की सहायता के बिना अपना गुजारा कर सकते हैं तो अपनी नौकरी छोड़ दें। सरकार ने इसे राजद्रोह माना और इस तरह की कार्रवाई को सख्ती से कुचलने का फैसला किया।

देश में उत्तेजना व उत्साह की लहर दौड़ गई। चित्तरंजन दास ने प्रिंस ऑफ वेल्स के मुंबई आगमन के अवसर पर 17 नवंबर, 1920 को अग्नि परीक्षा का दिन घोषित करने में अग्रणी भूमिका निभाई।

अधिसंख्य हिंदुओं तथा मुसलमानों ने प्रिंस की कलकत्ता यात्रा का भी बहिष्कार करने का निर्णय किया।

चित्तरंजन दास ने इस बहिष्कार को सफल एवं शांतिपूर्ण बनाने की

पूरी कोशिश की। सभी स्कूल, कॉलेज, न्यायालय तथा दुकानें बंद रहीं। पूरे शहर में वीरानी छाई रही। कलकत्ता में हड़ताल एकदम सफल रही।

चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के कार्यक्रमों को कारगर ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कांग्रेस वालंटियर कोर का गठन किया। उन्होंने एक करोड़ स्वयं सेवकों को भर्ती किया और तिलक स्वराज मेमोरियल फंड के लिए एक करोड़ रुपए इकट्ठे किए। उन्हें सरकारी दफ्तरों, विदेशी सामान तथा शराब की दुकानों पर धरना देने और खद्दर बेचने के काम सौंपे गए। इन सब गतिविधियों से बेमिसाल जन-जागरण हुआ।

सरकार ने हजारों स्वयंसेवकों को गिरफ्तार किया, जिन्हें जेलों में रख पाना संभव नहीं था। चित्तरंजन दास की पत्नी बसंती देवी तथा बहन उर्मिला देवी को भी 24 दिसम्बर, 1921 को गिरफ्तार कर लिया गया। इन गिरफ्तारियों से देश में जैसे क्रांति हो गई। इसके विरोध में एक हजार से अधिक नौजवान गिरफ्तारी के लिए आगे आए। हजारों की संख्या में हिन्दू-मुसलमान, राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े।

पुलिस में भी खलबली मच गई। जब बसंती देवी तथा उनके साथ की महिलाओं को जेल ले जाया गया तो बहुत से सिपाहियों ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी नौकरी छोड़ देने का वादा किया। यहां तक कि कारखानों के मजदूर भी आंदोलन में शामिल हो गए और गिरफ्तारी देने के लिए आगे आए। इन हालातों से सरकार परेशान हो उठी और उसने पुलिस वालों को खुश करने के लिए उनके वेतन बढ़ा दिए।

बसंती देवी की गिरफ्तारी की खबर सुनकर चित्तरंजन दास विचलित नहीं हुए बल्कि भारत की महिलाओं में साहस और त्याग की यह भावना देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। वैसे सरकार भी महिलाओं को अधिक समय तक जेल में नहीं रखना चाहती थी अतः उन्हें जल्दी ही रिहा कर दिया गया।

बसंती देवी अन्य महिलाओं के साथ धरने पर बैठने में व्यस्त हो गईं। पुलिस ने सीधे-सादे लोगों पर अत्याचार किए परंतु बसंती देवी तथा अन्य लोगों ने अपना विरोध जारी रखा। चित्तरंजन दास से कहा गया कि वे स्वयंसेवकों को रोकें। उन्होंने कहा कि वे उन्हें अपना कर्तव्य पालन करने से नहीं रोक सकते।

सन् 1921 में दिसंबर महीने की बात है, चित्तरंजन दास अपराह्न में चाय पी रहे थे तभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने अपनी पुत्रियों से कहा कि वे उन्हें जेल में खाना आदि बिल्कुल न भेजें। उनकी बेटियां फिर भी बहुत चिंतित थीं, क्योंकि वे जानती थीं कि उनके पिताजी बढ़िया खाना खाने के आदी हैं और जेल का भोजन उन्हें रास नहीं आएगा। लेकिन चित्तरंजन दास ने साफ कहा कि वे वही खाना खाएंगे जो उनके साथी कैदी खाएंगे।

पुलिस की गाड़ी में चढ़ते हुए चित्तरंजन दास ने लोगों से कहा, "भारत के पुरुषो और महिलाओ, मेरा यह संदेश है कि यदि आप कष्ट झेलकर विजय पाने को तैयार हैं तो वह आपकी चौखट पर खड़ी है।" जैसे ही पुलिस की गाड़ी उन्हें लेकर रवाना हुई, लोगों ने शंख बजाए और उन पर फूलों की वर्षा की।

जेल का जीवन

चित्तरंजन दास को पहले प्रेसिडेंसी जेल में रखा गया फिर बाद में सेंट्रल जेल भेज दिया गया जहां उनके अन्य अधिकतर साथी और अनुयायी रखे गए थे। वे सन् 1921 में अहमदाबाद के कांग्रेस अधिवेशन के मनोनीत अध्यक्ष थे। उनके जेल में होने के कारण उनका अध्यक्षीय भाषण सरोजिनी नायडू ने पढ़ा और उनकी अनुपस्थिति में अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खां ने की।

इस अधिवेशन के पश्चात् महात्मा गांधी ने गुजरात में बारडोली में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का आह्वान किया। परंतु गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर लोगों द्वारा कुछ पुलिसकर्मियों

की हत्या किए जाने पर उन्होंने आंदोलन स्थगित कर दिया। उन्होंने सभी कांग्रेस संगठनों को निर्देश दिया कि वे स्वयंसेवकों की गतिविधियां रोक दें। यहां तक कि उन्होंने सभी सभाओं और जुलूसों पर भी रोक लगा दी।

चित्तरंजन दास को इस आदेश से बहुत निराशा हुई। सुभाषचंद्र बोस ने इस घटना का उल्लेख इन शब्दों में किया: "महात्मा गांधी जिस ढंग से उल्टे-सीधे आदेश दे रहे थे उससे मेरे साथ-साथ चित्तरंजन दास भी दुखी और नाराज थे। बारडोली सत्याग्रह रोक देने से एक जबरदस्त धक्का लगा।" अन्य नेता भी इससे अप्रसन्न हुए।

स्वराज पार्टी

चित्तरंजन दास का सुझाव था कि कांग्रेस लेजिस्लेटिव काउंसिलों का बहिष्कार न करे बल्कि उनके भीतर रहकर सरकार से संघर्ष करे। इस नीति पर चलने के लिए सन् 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया। गांधीजी ने महसूस किया कि "संसदीय मानसिकता अब पक्की हो चुकी है।" स्वराज पार्टी को कांग्रेस की संसदीय शाखा के रूप में मान्यता दे दी गई।

सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में स्वराज पार्टी के नेता मोतीलाल नेहरू थे। हालांकि कौंसिल में उनकी स्वराज पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, परंतु उन्होंने सरकार बनाने से इंकार कर दिया। सन् 1924 में बंगाल में भी स्वराज पार्टी के बहुत से उम्मीदवार चुने गए और गवर्नर ने चित्तरंजन दास को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया किंतु उन्होंने मना कर दिया।

बंगाल लेजिस्लेटिव कांउसिल में स्वराज पार्टी शक्तिशाली विपक्षी दल बन गई तथा उसने कई मौकों पर सरकार को करारी मात दी। एक के बाद एक तीन सरकारें बनीं और गिरा दी गईं।

कलकत्ता नगर निगम

सन् 1923 का कलकत्ता म्युनिसिपल एक्ट भारत में स्थानीय स्वशासन के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना थी। इससे कलकत्ता नगर निगम देश की सबसे बड़ी नगरपालिका बन गया। इसमें स्वराज पार्टी के उम्मीदवार बहुमत में चुने गए। सन् 1924 में चित्तरंजन दास इसके प्रथम मेयर चुने गए तथा सुभाषचंद्र बोस मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए।

चित्तरंजन दास ने निगम के काम के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किए। मुफ्त प्राथमिक शिक्षा, गरीबों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था, शुद्ध व सस्ते भोजन तथा दूध की आपूर्ति, साफ पेयजल का प्रबंध, गरीबों के लिए मकान, परिवहन सुविधाओं में सुधार, व्यापारिक तथा भीड़भाड़ वाले इलाकों में स्वच्छता में सुधार आदि। उनके आने के बाद निगम के प्रशासन में चुस्ती आ गई तथा बहुत-सी कल्याण योजनाएं लागू की गई।

कलकत्ता के सबसे अमीर लोगों में गिने जाने वाले चित्तरंजन दास वकालत छोड़ने के बाद शहर के गरीब लोगों की गिनती में आ गए। उन पर कई नैतिक जिम्मेदारियां थीं। उनके पास एक ही संपत्ति थी और वह थी कलकत्ता में उनका भव्य आवास। चित्तरंजन दास उसे भी देश को भेंट कर देना चाहते थे। उनकी समूची जायदाद की कीमत 3,26,000 रुपए आंकी गई और उनकी देनदारी एक लाख रुपए से अधिक की थी। चित्तरंजन दास ने निश्चय किया कि देनदारियों का भुगतान करने के बाद शेष राशि शिक्षा के लिए प्रदान करने एक मंदिर के निर्माण तथा एक अनाथालय की स्थापना के काम में लगाई जानी चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक ट्रस्ट की स्थापना की।

इस मामले में महात्मा गांधी ने भी रुचि ली और ट्रस्ट के सदस्यों से सलाह करके आठ लाख रुपए की राशि से देशबंधु स्मारक कोष की स्थापना की। चित्तरंजन दास का घर महिला अस्पताल में बदल गया। उसका नाम चित्तरंजन सेवा सदन रखा गया। इस समय यह महिलाओं का श्रेष्ठ चिकित्सा संस्थान है।

अंत समय

चित्तरंजन दास सन् 1925 में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुए बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन से लौटे तो उन्हें तेज ज्वर था।

दमनकारी बंगाल ऑर्डिनेंस के कारण सरकार के खिलाफ संघर्ष और तेज हो गया। गोपीनाथ शाह नाम के व्यक्ति ने एक साधारण अंगरेज को उच्च अधिकारी समझ कर मार डाला। बंगाल सरकार ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया। इसके फलस्वरूप आतंकवादी षड्यंत्र के संदेह में कुछ युवकों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने वाले युवकों की संख्या बाद में सैकड़ों तक पहुंच गई।

कलकत्ता लौटने पर चित्तरंजन दास को पता चला कि इस ऑर्डिनेंस को कांउसिंल में कानूनी रूप दिया जाएगा। 7 जनवरी, 1925 को चित्तरंजन दास ने अपनी रोगी शय्या से घोषणा की, "काला बिल काउंसिल में चर्चा के लिए लाया जा रहा है। मुझे हर हालत में बैठक में जाना है और इसका विरोध करना है।"

उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर काउंसिल में ले जाया गया। दो डॉक्टर उनके साथ थे। इधर, विधेयक पारित न हो सका और चित्तरंजन दास की शारीरिक तथा स्नायविक रुग्णता दूर हो गई। परंतु यह स्थिति ज्यादा दिन नहीं रही।

16 जून, 1925 को जब चित्तरंजन दास दार्जिलिंग में विश्राम कर रहे थे तो वे अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़े तथा उनका स्वर्गवास हो गया। सुभाषचंद्र बोस ने ठीक ही कहा, "देशबंधु की मृत्यु...भारत के लिए घोर राष्ट्रीय संकट था..."

उनका पार्थिव शरीर कलकत्ता लाया गया। उनके अंतिम दर्शनों के लिए अपार भीड़ उमड़ पड़ी। सभी दुकानें बंद कर दी गईं। यातायात ठप्प हो गया। सैकड़ों-हजारों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक व्यक्त किया।

कलकत्ता में शोक-सभा हुई जिसमें महात्मा गांधी ही एकमात्र वक्ता थे। बड़ी कठिनाई से अपनी भावनाओं पर काबू रखकर, हालांकि एक

बार तो वे रो ही पड़े, महात्मा गांधी ने कहा, "देशबंधु महानतम व्यक्तियों में से एक थे। मुझे पिछले छह वर्षों से उन्हें निकटता से जानने का गौरव प्राप्त है...उनसे मेरी घनिष्ठता जितनी बढ़ती गई उतना ही उनके प्रति मेरा प्रेम बढ़ता गया। दार्जिलिंग में अपने छोटे से प्रवास के दौरान मैंने देखा कि भारत की भलाई के अलावा और कोई विचार उनके मन में नहीं था। भारत की आजादी ही उनका एकमात्र सपना थी..."

“आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि गलत होते हुए भी उस समय की परिस्थितियों में अनिवार्य थी। बहुत से भारतीय इससे दुखी और निराश थे। परंतु युवा वर्ग खुलकर और उससे भी अधिक निजी तौर पर आतंकवादियों की देशभक्ति, हिम्मत और दिलेरी की दाद देता था। उनके कारनामों से अंग्रेजों के प्रति नफरत फैली और लोगों में स्वतंत्रता की इच्छा और बलवती हुई।”

ताराचंद